

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 60 / 2013
संस्थान दिनांक 19.02.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

राजेश पिता रामकरण मीणा, आयु 28 वर्ष
निवासी- असरावद बुजुर्ग, थाना खुडैल
(इन्दौर) म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 24.07.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 15/2013 अंतर्गत 279, 337, 338, 429 भा.द.सं. में दिनांक 19.02.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.01.2013 को रात्रि लगभग 01:30 बजे, ग्राम घटवां बस स्टेण्ड व सुगर मिल के मध्य वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5981 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर धर्मेन्द्र, दिनेश एवं बैलों का जीवन संकटापन्न करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण में दिनांक 18.06.2015 को आहत धर्मेन्द्र एवं दिनेश तथा अभियुक्त राजेश के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 337, 338, 429 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा यह निर्णय अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 24.01.2013 को गई रात्रि को फरियादी गंगाराम एवं गौंव के दिनेश, धर्मेन्द्र, मुकेश, बाबु अपनी-अपनी बैलगाड़ी से सुगर मिल ग्राम घटवां में गन्ना डालकर वापस गौंव ग्राम जरवाय जाने के लिए सुगर मिल ग्राम घटवां से निकले, वह रोड़ पर जैसे ही राजेश मुकाती के खेत के सामने जा रहे थे कि एक वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5981 के चालक का अपने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और धर्मेन्द्र एवं दिनेश की बैलगाड़ी को टक्कर मारी जिससे धर्मेन्द्र एवं दिनेश को चोंटें आई तथा बैलों को भी चोंटें आई तथा बैलगाड़ियों के नुकसान हुए। फरियादी द्वारा आहत धर्मेन्द्र एवं दिनेश को शासकीय अस्पताल ठीकरी चिकित्सा हेतु ले गया था। पुलिस ने फरियादी गंगाराम द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5981 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/2013 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 लेखबद्ध की, पुलिस ने फरियादी गंगाराम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 5 बनाया तथा अनुसंधान के दौरान साक्षीगण गंगाराम, मुकेश, दिनेश एवं धर्मेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 429 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 429 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.01.2013 को रात्रि लगभग 01:30 बजे, ग्राम घटवां बस स्टेण्ड व सुगर मिल के मध्य वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5981 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर धर्मेन्द्र, दिनेश एवं बैलों का जीवन संकटापन्न किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी दिनेश (अ.सा.1) एवं धर्मेन्द्र (अ.सा.2), गंगाराम (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आहत दिनेश अ.सा. 1 ने अपने कथन में बताया कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। घटना लगभग ढेड वर्ष पूर्व की है। वह अपनी बैलगाड़ी से गन्ना लेकर शुगर मिल ग्राम घटवां जा रहा था, साथ में गाँव के गंगाराम, धर्मेन्द्र, मुकेश एवं बाबु अपनी-अपनी बैलगाड़ी से शुगर मिल में गन्ना डालने जा रहे थे, रात्रि लगभग 1:30 बजे अंजड़ की ओर से आ रहे ट्रक के चालक ने उसकी व धर्मेन्द्र की बैलगाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें चोटें आई थी। धर्मेन्द्र के 1 बैल की मृत्यु हो गई तथा 1 बैल घायल हो गये थे तथा बैलगाड़ी का भी नुकसान हुआ था तथा उसके दोनों बैल घायल हो गये थे तथा बैलगाड़ी का भी नुकसान हुआ था। साक्षी ने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के चालक तथा ट्रक के नम्बर को देखने से इंकार किया है तथा नुसकानी पंचनामा प्रदर्शपी 1 पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस कथन प्रदर्शपी 2 में वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5981 बताया था अथवा उक्त ट्रक के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर लाने की बात बताई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

8. धर्मेन्द्र असा 2 तथा गंगाराम असा 3 ने ग्राम घटवां शुगर मिल के पास रात्रि 1:30 बजे ट्रक से उनकी बैलगाड़ी को टक्कर मारने तथा दुर्घटना में एक बैल की मृत्यु होने तथा बैलगाड़ियों के नुकसान होने के संबंध में कथन किये हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है, यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है। गंगाराम असा 3 ने पुलिस को प्रदर्शपी 4 की रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया है, लेकिन उक्त रिपोर्ट में ट्रक के क्रमांक की बात लिखाने से इंकार किया है। दोनों साक्षियों ने स्वीकार किया कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है।

9. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के फरियादी एवं साक्षियों ने अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नहीं किये हैं, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त राजेश के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त राजेश को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

11. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5981 को उसके पंजीकृत स्वामी देवेन्द्रसिंह तर्फे आममुख्यार दिलप्रीत पिता देवेन्द्रसिंह, निवासी- 168 बैराठी कॉलोनी इन्दौर म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी